



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

भारतीय जीवन बीमा निगम

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512

केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com; वेबसाइट: www.licindia.in

तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम"/"एलआईसी") के सदस्यों की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 22 अगस्त, 2024 को 1130 बजे (भा.मा.स) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित मद्दों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी, 24सी और 25बी के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों) पर विचार करना एवं बोर्ड और लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को अपनाना।
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28बी (1) के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 6/- का अंतिम लाभांश घोषित करना और ₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 4/- के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।
- लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्पों को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा, निगम के सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक, मैसर्स बाटलीबोर्ड एवं पुरोहित, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 101048W) के स्थान पर निगम के लेखापरीक्षक के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षक की नियुक्ति को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऐसे नियमों और शर्तों पर और पारिश्रमिक पर अनुमोदित करते हैं:

क्र. सं.	लेखापरीक्षक का नाम	कैग डम्पैनलमेंट नंबर	प्रधान कार्यालय	फर्म पंजीकरण संख्या (FRN)	नियुक्ति का कार्यकाल
1	मैसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी	बीओ0031	मुंबई	109208W	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा, निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक, मैसर्स एआर एंड कंपनी नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 002744 सी) और मैसर्स टोडी तुलश्यान एंड कंपनी, पटना (फर्म पंजीकरण संख्या: 002180 सी) के स्थान पर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के

लेखापरीक्षकों के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऐसे नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक पर अनुमोदित करते हैं:

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का नाम	कैग इम्पैनलमेंट नंबर	प्रधान कार्यालय	फर्म पंजीकरण संख्या (FRN)	नियुक्ति का कार्यकाल
1	मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी	डीई1187	नई दिल्ली	009571एन/एन500006	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक
2	मैसर्स ए के सालमपुरिया एंड एसोसिएट्स	ईआर0152	पटना	004285सी	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम (सामान्य) नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में निगम के निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अवधि एवं नियमों और शर्तों तथा पारिश्रमिक के लिए निगम के अन्य मंडल लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पुनः नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) को उपरोक्त संकल्पों के संबंध में या आकस्मिक रूप से उठने वाले सभी प्रश्नों को हल करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

विशेष व्यवसाय:

5. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन (डीआईएन: 10358884) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 और 4 के अनुसार, श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन की नियुक्ति भारत सरकार की 14 अगस्त, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान में 01 सितंबर, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की तारीख तक (यानी, 31 अगस्त, 2026), या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक की गयी है और तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।

6. एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (“एलआईसी एमएफ”) के साथ निगम के भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम”/“सूचीबद्धता विनियम”) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन, उपांतरण या पुनः अधिनियमन समेत तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति, जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिनहे इसके बाद ‘बोर्ड’ के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/ सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं) जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार निगम की संबंधित पक्ष, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, के साथ अनुबंधों/ व्यवस्थाओं / लेन-देन में प्रवेश करने के लिए और / या पूर्ण करने के लिए और / या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या एकाक लेन-देन को साथ लेकर या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी, चाहे निरंतरता या नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन के माध्यम से पहले के अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा कि यहा उल्लेख किया गया है:

- (i) म्यूचुअल फंड योजनाओं में सीधा लगाना/अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना और उनसे संबंधित लेनदेन
- (ii) समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जोकि पंद्रह महीने से अधिक की अवधि में नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप से और/या समग्र रूप से, ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	म्यूचुअल फंड योजनाओं में सीधा लगाना/अन्य प्रतिभूतियों को जारी या अभिदान करना और उनसे संबंधित लेनदेन	लगभग ₹ 35,000 करोड़ तक
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्ति को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।

7. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (“आईडीबीआई बैंक”) के साथ निगम के भौतिक संबंधी पक्षकार लेनदेनों के अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन, उपांतरण या पुनः अधिनियमन समेत तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की ‘संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति’, जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिनहे इसके बाद ‘बोर्ड’ के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/ सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं) जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार निगम की संबंधित पक्ष, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, के साथ में अनुबंधों/ व्यवस्थाओं / लेन-देन में प्रवेश करने के लिए और / या पूर्ण करने के लिए और / या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या एकाक लेन-देन को साथ लेकर या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी, चाहे निरंतरता या नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन के माध्यम से पहले के अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा कि यहा उल्लेख किया गया है:

- चालू खाता/बचत खाता (सीएसए) की सुविधाओं का लाभ उठाना और बैंकिंग लेनदेन के लिए निगम के द्वारा प्राप्त सेवा का भुगतान करना;
- आईडीबीआई बैंक में चालू खाता जमा राशियों या सावधि जमा राशियों (जमा राशियों) सहित जमा राशियां (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से ज्ञात हों) और उन पर ब्याज;
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार निगम के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान
- समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;
- गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र/किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान और जारी करने के लिए और उसके आकस्मिक लेनदेन; और

- (vi) सहमत प्रतिफल के बदले या जैसा कि समय-समय की सहमति पर अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/सेवाओं का एलआईसी से/को स्थानांतरण और/या जहां निगम प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री, देय शुल्क, शुल्क, राजस्व, ब्रोकरेज या कोई अन्य खर्च, जैसे निगरानी/डिपॉजिटरी सेवाएं, सलाहकार सेवाएं, बीमा सेवाएं, परिसंपत्ति प्रबंधन शुल्क, जारी करने और भुगतान अनुबंध शुल्क, साझा सेवाएं, संग्रह और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जोकि पंद्रह महीने से अधिक की अवधि में नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप और/या समग्र रूप से ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	बैंक खाते (किसी भी रूप में और जो भी नाम से जाना जाता है, जमा सहित) और उस पर ब्याज यदि कोई हो।	वास्तविक रूप से, चूंकि बैंक खाते में बनाए रखी शेष राशि दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय संचालन के लिए है, और दैनिक आधार पर भिन्न हो सकती है
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार
	कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान	वास्तविक रूप से, संभावित उत्पादों की शर्तों और व्यवसाय के पैमाने, उत्पाद मिश्रण और विनियमों के अनुसार
	गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/अभिदान करना और उसके आनुषंगिक लेन-देन	वास्तविक रूप से, संभावित उत्पादों की शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार
	अन्य: • प्रतिभूतियों/निवेशों की खरीद और बिक्री • बैंक शुल्क • दलाली • डिपॉजिटरी सेवाएं • सलाहकार सेवाएं	वास्तविक स्तर पर, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्ति को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।

8. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ("एलआईसी एचएफएल") के साथ निगम के भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन, उपांतरण या पुनः अधिनियमन समेत तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की 'संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति', जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिनहे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/ सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं) जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित सेबी सूचीबद्धता

विनियमों के अनुसार निगम की संबंधित पक्ष, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, के साथ में अनुबंधों/ व्यवस्थाओं / लेन-देन में प्रवेश करने के लिए और / या पूर्ण करने के लिए और / या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या एकाक लेन-देन को साथ लेकर या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी, चाहे निरंतरता या नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन के माध्यम से पहले के अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है:

- गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/अभिदान करना और उसके आनुषंगिक लेन-देन;
- समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जोकि पंद्रह महीने से अधिक की अवधि में नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप से और/या समग्र रूप से ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/अभिदान करना और उसके आनुषंगिक लेन-देन	वास्तविक रूप से, ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों के नियमों और शर्तों के अनुसार
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ पूंजी प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्ति को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षर/-
अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 15 जुलाई, 2024

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

टिप्पणियाँ:

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (“एमसीए”) ने अपने परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांकित 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021 और 28 दिसंबर, 2022 (सामूहिक रूप से “एमसीए परिपत्र” के रूप में संदर्भित) के माध्यम से, 30 सितंबर 2024 तक या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (“वीसी/ओएवीएम”) के माध्यम से दिनांकित 5 मई, 2020 के एमसीए सामान्य परिपत्र के पैराग्राफ 3 और 4 में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुसार एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने भी अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 (सेबी परिपत्र) में सूचीबद्धता विनियमों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से कुछ छूट प्रदान की है। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956/एलआईसी अधिनियम) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 (एलआईसी नियम), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान (लागू सीमा तक) और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम/सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) के प्रावधानों के अनुपालन में, निगम ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (“वीसी”) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (“ओएवीएम”) (इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साधन के रूप में संदर्भित) के माध्यम से अपनी तीसरी एजीएम आयोजित करने का निर्णय लिया है अर्थात् सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना।
2. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 (एलआईसी नियम) के नियम 28 के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण, जो इस सूचना के मद संख्या 3 से 8 के अंतर्गत निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।
3. जीवन बीमा निगम (सामान्य) नियम, 1956 के नियम 28 के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हक है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि, यह एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और एजीएम के स्थल का मार्ग नक्शा इस सूचना में संलग्न नहीं है।
4. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) और एलआईसी नियमों के नियम 28 के साथ पठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार तीसरी एजीएम में नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संबंध में आवश्यक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक - ए के रूप में संलग्न हैं जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम ने नियुक्ति के लिए निदेशक से संगत प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त कर ली है।
5. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम साधन से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। सदस्य नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (‘एनएसडीएल’) की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर जीवंत कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस सूचना के टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित बनाए गए नियमों और विनियमों और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार गणपूर्ति की गणना करने हेतु की जाएगी।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार (एफसीएफएस) पर सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में एफसीएफएस के प्रवेश करने में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
7. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है, जिसमें उनके प्रतिनिधि को उनकी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उक्त संकल्प/प्राधिकरण पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से संवीक्षक को snaco@snaco.net ईमेल पर भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को अंकित की जाएगी।
8. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वह एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।

9. वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल पते 19 जुलाई, 2024 (शुक्रवार) को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। तीसरी एजीएम बुलाने वाली सूचना निगम की वेबसाइट पर www.licindia.in पर प्रसारित कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
10. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:
- अ) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 27 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 6 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024 थी।
- आ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम लाभांश तीसरी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, सदस्यों को 20 सितंबर, 2024 (शुक्रवार) तक भुगतान किया जाएगा, अर्थात्, अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों/लाभकारी मालिकों को जिनके नाम शुक्रवार, 19 जुलाई 2024 को व्यावसायिक घंटों के अंत में सदस्यों के रजिस्टर /डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं।
- इ) डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते का रखरखाव रखते हैं, का उपयोग निगम द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। निगम बैंक विवरण या बैंक जनादेश के किसी भी परिवर्तन के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। अतः डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और/या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को तत्काल दें।
- ई) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह निगम के आरटीए को निम्नलिखित जानकारी einward.ris@kfintech.com पर ईमेल द्वारा भेज कर अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) अधिकृत पत्र को पंजीकृत करें (i) हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (अर्थात् बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, IFSC, MICR विवरण), (ii) पैन कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति और (iii) रद्द चेक की लीफ।
- उ) जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन नहीं किया है, निगम किसी अन्य अनुमेय साधन के माध्यम से निगम के रिकॉर्ड में पंजीकृत पते पर लाभांश का भुगतान करेगा।
- ऊ) सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांकित 3 नवंबर, 2021 (बाद में संशोधित परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांकित 14 दिसंबर, 2021, सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांकित 16 मार्च, 2023 और सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांकित 17 नवंबर, 2023) के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया है कि 1 अप्रैल, 2024 से, शेयरधारकों (भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले) को लाभांश, केवल इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा। ऐसा भुगतान, पैन, नामांकन का चयन, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर सहित संपर्क विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित संगत एफएक्यू को https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf पर देखा जा सकता है।
- ऋ) आयकर अधिनियम, 1961 जैसा की समय-समय पर संशोधित हुआ है, के अनुसरण में, लाभांश आय 01 अप्रैल, 2020 से सदस्यों के देय कर योग्य है और निगम को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों की निर्धारित दरों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधन देखें।
- एक निवासी व्यक्तिगत सदस्य और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उन्हें पैन के साथ फॉर्म नंबर 15 जी / 15 एच, जैसा लागू हो, में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) सहित अनिवासी सदस्य भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन है जैसे कि कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होने की घोषणा, लाभकारी

स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाणपत्र, फॉर्म 10 एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

इसके लिए गुरुवार, 04 जुलाई, 2024 को सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिनका ईमेल पता निगम/रजिस्ट्रार/डीपी के पास पंजीकृत था और उनसे शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024 को या उससे पहले आवश्यक जानकारी जमा करने का अनुरोध किया गया था।

11. भौतिक शेयरधारिता के संबंध में, धोखाधड़ी वाले लेनदेनों को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतें और अपने पते, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी, नामांकन या संयुक्त धारकों, जैसा भी मामला हो, में किसी भी परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार को सूचित करें।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या ('पैन') प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को पैन जमा करें, जिसके साथ वह अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह रजिस्ट्रार (आरटीए) को अपना पैन विवरण जमा करें।

12. सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 40 (1) के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र सं SEBI/HO/MIRSD/MIRSDs RT-MB/P/CIR/2022/8 दिनांकित 25 जनवरी, 2022 से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अधिदेश है; डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना; अस्वामिक सस्पेंस खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण/विनियम; अनुमोदन; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों/फोलियो का समेकन; ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन।

इसके अलावा, यह ध्यान दे, कि किसी भी सेवा के अनुरोध को केवल तभी संसाधित किया जा सकता है जब फोलियो केवाईसी अनुपालन हो। सेबी ने 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन के सभी अनुरोधों को केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और डिमटेरियलाइज के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डिमटेरियलाइज करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए निगम या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

13. जीवन बीमा निगम (सामान्य) विनियम, 2021 के विनियमन 9 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 5ई के प्रावधानों के अनुसार, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार, एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।
14. सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिकृत पत्र, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तनों यदि कोई हो, तो उसकी सूचना दें।

अ) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए: उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को

आ) भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए: सेबी के मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एसईसीएफ-टीफ/पी/सीआईआर/2023/169 दिनांकित 12 अक्टूबर, 2023 के अनुसार निर्धारित फार्म आईएसआर-1 तथा अन्य प्रपत्रों को, निगम/आरटीए। फोलियो को फ्रीज करने के कारण अनभिप्रेत चुनौतियों को कम करने के लिए सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांकित 17 नवंबर, 2023 द्वारा पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण नहीं रखने वाले फोलियो को फ्रीज करने से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया है।

15. सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ओआईईई/ओआईईई_आईएडी-1/पी/सीआईआर/2023/131 दिनांकित 31 जुलाई, 2023 के और सेबी/एचओ/ओआईईई/ ओआईईई_आईएडी-1/पी/सीआईआर/2023/135 दिनांकित 04 अगस्त, 2023 के साथ पठित मास्टर परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / ओआईईई / ओआईईई_आईएडी-1/पी/सीआईआर/2023/145 दिनांकित 31 जुलाई, 2023 (11 अगस्त, 2023 तक अद्यतन) के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ODR पोर्टल") की स्थापना की है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, आरटीए/निगम के साथ सीधे और मौजूदा स्कोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों को हल करने के विकल्प को समाप्त करने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं और इसे निगम की वेबसाइट <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution> के माध्यम से भी अभिगम किया जा सकता है।

16. सदस्यों से अनुरोध है कि वह ध्यान दे कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28सी के अंतर्गत, अस्वामिक लाभांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि तक अस्वामिक या बिना दावे के शेष लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, उन सभी शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया गया है/ अस्वामिक रहेता है।

17. एजीएम के दौरान सांविधिक रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य या जो इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचना में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वह investors@licindia.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

18. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है, इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए एवं उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया:

(i) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे से), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) investors@licindia.com पर प्रदान करें।

(ii) यदि शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) einward.ris@kfintech.com को प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियों रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप बिंदु संख्या 22 के चरण 1 (ए) में नीचे बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, यानी, ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने की विधि।

(iii) वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

19. एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग:

(i) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के अनुसरण में, निगम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है; एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग' (एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग) दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए, निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान दूरस्थ (रिमोट) ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

(ii) शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 की कट-ऑफ तिथि पर भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले निगम के सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह एजीएम के पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। गैर-व्यक्तिगत सदस्य या भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाला कोई भी सदस्य जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और सूचना भेजने के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 16 अगस्त, 2024 (शुक्रवार) को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(iii) डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य, जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और सूचना भेजने के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि, यानी 16 अगस्त, 2024 (शुक्रवार) को शेयर धारण करते हैं, वह बिंदु संख्या 22 में नीचे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

- (iv) दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 19 अगस्त, 2024 को 0900 बजे (भा.मा.स) से शुरू होगी और बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को 1700 बजे (भा.मा.स) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी 16 अगस्त, 2024 को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
- (v) एजीएम में वीसी कार्यवाही के दौरान सदस्यों को दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, अध्यक्ष द्वारा घोषणा पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्प (ओं) पर अपना वोट डाला है, वह भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे संकल्प (ओं) पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मतों की प्राप्ति के अधीन, प्रस्तावों को बैठक की तारीख यानी 22 अगस्त, 2024 (गुरुवार) को पारित माना जाएगा।
- (vi) एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।
20. सुश्री अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या: एसीएस 14713) और उनके विफल होने पर, श्री विश्वनाथन एस.एन. (सदस्यता संख्या: एसीएस 61955), मैसर्स एसएन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को निगम के सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच पूरी होने के बाद अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं एवं एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के तहत भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय में सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
21. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:
- (i) सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए पैरा 22 के तहत नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने "सामान्य बैठक में शामिल हों" ("Join General Meeting") मेनू के तहत रखा गया "वीसी/ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि सामान्य बैठक में शामिल हों मेनू के तहत रखे गए VC/OAVM लिंक पर क्लिक करें। VC/OAVM के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां निगम का **EVEN (129391)** प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वह अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- (ii) सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस एज या फ़ायरफ़ॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- (iii) सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए तीसरी एजीएम में रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने प्रश्न अग्रिम रूप से investors@licindia.com पर रविवार, 18 अगस्त, 2024 से 0900 बजे (भा. मा. स) से मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को 1700 बजे (भा. मा. स) तक भेज सकते हैं। सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपर्युक्त उत्तर दिया जाएगा।
- (iv) जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपीआईआईडी एवं क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investors@licindia.com पर रविवार, 18 अगस्त, 2024 को 0900 बजे (भा. मा. स) से मंगलवार, 20 अगस्त 2024 को 1700 बजे (भा. मा. स) के बीच अनुरोध भेजकर खुद को पूर्व-पंजीकृत कर सकते हैं। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- (v) जिन सदस्यों को बैठक में भाग लेने और भाग लेने के लिए एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वह श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से sanjeevy@nsdl.co.in /022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

22. दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 19 अगस्त, 2024 को 0900 बजे (भा. मा. स) से शुरू होगी और बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को 1700 बजे (भा. मा. स) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि यानी 16 अगस्त, 2024 को सदस्यों/लाभकारी स्वामी के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान डाल सकते हैं। सदस्यों का मतदान अधिकार 16 अगस्त, 2024 कट-ऑफ तिथि के अनुसार निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे कर सकता हूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में दो चरण शामिल हैं जो नीचे उल्लिखित हैं:





चरण 1: NSDL ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

A) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 09 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य।	<ol style="list-style-type: none"> एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट अर्थात https://eservices.nsdl.com पर मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल के माध्यम से जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर “लॉगिन” (“Login”) के तहत “लाभकारी स्वामी” (“Beneficial Owner”) आइकन पर क्लिक करें जो के ‘आईडीईएस’ अनुभाग उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत “ई-वोटिंग तक पहुंच” (“Access to Evoting”) पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज को देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प यहां https://eservices.nsdl.com उपलब्ध है “आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें” (“Register Online for IDeAS Portal”) को चुने या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्न URL वेब ब्राउज़र पर टाइप करके खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ या तो व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज को देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।</p> <p>4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप एनएसडीएल स्पीड ("NSDL Speede") सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं ।</p> <p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
<p>सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों</p>	<p>1. जिन उपयोगकर्ताओं ने ईज़ी/ईज़ीस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईज़ी/ईज़ीस्ट पर लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन आइकन एवं न्यू सिस्टम माईईज़ी टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माईईज़ी उपयोगकर्ता का नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें।</p> <p>2. सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीस्ट के उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज को देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>3. यदि उपयोगकर्ता ई-वोटींग/ई-वोटींग के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प यहां सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है।</p> <p>और लॉगिन एवं न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करके और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटींग लिंक से अपने डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटींग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। डीमैट खाते में दर्ज किया गया पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटींग विकल्प देख पाएंगे जहां ई-वोटींग प्रगति पर है और सभी ई-वोटींग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होंगे।</p>
व्यक्तिगत सदस्यों (डीमैट मोड में धारित प्रतिभूतियां) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटींग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं, लॉग-इन करने पर, आप ई-वोटींग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटींग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटींग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटींग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटींग अवधि के दौरान अपना मत डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और वोटींग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटींग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगट उपयोगकर्ता आईडी और फॉरगट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या 022-4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

इ) ई-वोटींग में लॉगिन और व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों जो डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए विधि।

एनएसडीएल ई-वोटींग वेबसाइट में लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटींग वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL लिखकर के वेब ब्राउज़र पर लिखकर खोलें: <https://www.evoting.nsdl.com/>
2. ई-वोटींग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ईसर्विसेज यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsd.com/> लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करने के बाद, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर जा सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डालें।

4. आपका उपयोगकर्ता आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए, अगर आपकी DP ID IN300**** है और क्लाइंट ID 12***** है, तो आपकी यूजर ID IN300****12***** है।
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12***** है
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001**** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001**** है

5. व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करें और अपना मत डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' ('Initial Password') प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' ('Initial Password') पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और प्रणाली आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) अगर आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकरण है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। आपके मेल-बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ई-मेल का पता लगाएं, ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल अकाउंट के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट ID, सीडीएसएल अकाउंट के लिए क्लाइंट ID के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' ('User ID') और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' ('Initial Password') होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - क) “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?” (“Forgot User Details/ Password”) पर क्लिक करें (अगर आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर होल्ड कर रहे हैं) जो www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।
 - ख) “भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?” (“Physical User Reset Password”) (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) जो www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।
 - ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता संख्या /फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मत डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके “नियम और शर्तों” (“Terms and Conditions”) से सहमत पर टिक करें।
8. अब, आपको “लॉगिन” (“Login”) बटन पर क्लिक करना होगा।
9. “लॉगिन” (“Login”) बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर सामान्य बैठक में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर सामान्य बैठक में कैसे शामिल हों?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप सभी कंपनियों के “EVEN” को देख पाएंगे जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिसका मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. कंपनी के “EVEN” को चुने जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालना चाहते हैं और सामान्य बैठक के दौरान अपना मत डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको जॉइन जनरल मीटिंग के तहत रखे गए “VC/OAVM” लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपर्युक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और “सबमिट” (“Submit”) पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर “पुष्टि करें” (“Confirm”) पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, “वोट सफलतापूर्वक डाला गया” (“Vote Cast Successfully”) संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए मतों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

- (i) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दुरुस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- (ii) केवल वह सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दुरुस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
- (iii) जिन सदस्यों ने दुरुस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वह एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वह एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- (iv) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, वह वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

सदस्यों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- (i) यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी घटना में, आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?” या “भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करें?” पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए जाना होगा।
- (ii) किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या 022 - 4886 7000 पर कॉल करें या एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री संजीव यादव को नामित ई-मेल आईडी sanjeevy@nsdl.co.in और/या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

जीवन बीमा निगम (सामान्य) नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या 3

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956) की धारा 28बी के संदर्भ में, निगम के निदेशक मंडल ने 08 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 4/- प्रति इक्विटी शेयर का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 2530 करोड़ का नकद बहिर्गमन शामिल है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 27 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 6/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा घोषणा के अधीन है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसमें ₹ 3795 करोड़ का नकद बहिर्वाह शामिल होगा। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर ₹ 10/- है और इसमें ₹ 6325 करोड़ का कुल नकद बहिर्गमन शामिल होगा जो 15.55% के लाभांश भुगतान अनुपात में अनुवाद करता है।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में निर्धारित मद संख्या 3 के तहत निहित प्रस्ताव को स्वीकार करें।

मद संख्या 4

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956) की धारा 25 और बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन संबंधी नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार निगम के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

निगम के लेखापरीक्षकों में से एक, अर्थात्, मैसर्स बाटलीबोर्ड एवं पुरोहित, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 101048W) और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए दो लेखापरीक्षक; मैसर्स एआर एंड कंपनी, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 002744सी) और मैसर्स टोडी तुलश्यान एंड कंपनी, पटना (फर्म पंजीकरण संख्या: 002180सी) 22 अगस्त, 2024 को आयोजित होने वाली निगम की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एलआईसी अधिनियम, 1956 के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसरण में और 20 जून, 2024 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों और 21 जून, 2024 को आयोजित निगम के निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, निम्नलिखित फर्मों को निगम के लेखापरीक्षक और निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है:

विवरण	मैसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी	मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी	मैसर्स एके सालमपुरिया एंड एसोसिएट्स
संक्षिप्त प्रोफाइल	वर्ष 1952 में फर्म की स्थापना हुई और वर्तमान में पूरे भारत में 03 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान संख्या 16 पूर्णकालिक भागीदार और 40 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।	वर्ष 1977 में फर्म की स्थापना हुई और वर्तमान में पूरे भारत में 8 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान संख्या 33 पूर्णकालिक भागीदार और 132 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।	वर्ष 1987 में फर्म की स्थापना और वर्तमान में पूरे भारत में 6 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान संख्या 10 पूर्णकालिक भागीदार हैं।
लेखापरीक्षक	निगम के लेखापरीक्षक	उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के लिए लेखापरीक्षक	पूर्व मध्य क्षेत्र, पटना के लिए लेखापरीक्षक

विवरण	मैसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी	मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी	मैसर्स एके सालमपुरिया एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या (FRN)	109208W	009571N/N500006	004285C
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पैनल संख्या	BO0031	DE1187	ER0152
मुख्य कार्यालय	मुंबई	नई दिल्ली	पटना
नियुक्ति का कार्यकाल	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक।	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक।	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक।

लेखापरीक्षा सेवाओं के अलावा, निगम समय-समय पर अपेक्षित बैंकों एवं सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित विभिन्न सांविधिक विनियमों और प्रमाणपत्रों के अंतर्गत लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षा संबंधी सेवाओं और अन्य अनुमेय गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं भी प्राप्त करेगा, जिसके लिए उन्हें लेखापरीक्षा समिति के परामर्श से बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा।

सभी तीन फर्म अर्थात्; मैसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या: 109208W), मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या: 009571N/N500006) और मैसर्स एके सालमपुरिया एंड एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण संख्या: 004285C) ने उक्त नियुक्ति के लिए सहमति दी है और पुष्टि की है कि उनकी नियुक्ति, यदि की जाती है, तो लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगी।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर उपर्युक्त लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए अन्य नियम एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। निगम के लेखापरीक्षकों और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रस्तावित फर्मों के नाम एजीएम सूचना के मद संख्या 4 के तहत निहित संकल्प में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्ताव है कि निगम के मण्डल कार्यालय के लिए अन्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के निबंधनों के अनुसार और समय-समय पर यथा संशोधित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन संबंधी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हो, के अनुसार प्राधिकृत किया जाए, जिससे लेखापरीक्षा समिति द्वारा कि गयी सिफारिश पर नियुक्ति के लिए उनकी अवधि और अन्य नियम और शर्तों तथा पारिश्रमिक का अनुमोदन किया जाये। निगम के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से उक्त प्रस्तावों में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित या इच्छुक नहीं है।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 4 के तहत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 5

भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन को कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी, 31 अगस्त, 2026) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। श्री रामचंद्रन ने 01 सितंबर 2023 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन को संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षाविदों में 38 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव है। प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन ने संगठन के भीतर कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर विकास), क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन / मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), प्रबंधक (पेंशन और समूह योजनाएं), दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में क्षेत्रीय कोट्टायम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और चेन्नई-ख, थंजावुर एवं पुणे मण्डलों के विपणन प्रबंधक के रूप में कार्य किया है।

राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में रिसर्च एसोसिएट के रूप में, उन्होंने बीमा प्रबंधन/चार्टर्ड वित्तीय योजना में उत्पाद विकास और प्रकरण विकास में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों, सूक्ष्म बीमा, बीमा कानून और विनियम, पर कई परियोजनाओं पर काम किया है।

श्री दुरैस्वामि, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के छात्र सदस्य हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन की नियुक्ति का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 5 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 5 के तहत निहित संकल्प पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 5 के तहत निर्धारित संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या पट्टा, किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त थी, यदि वे व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन के लिए अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों में संशोधन के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन को भौतिक माना जाएगा, यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से है या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1,000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी कम हो।

निगम ने 22 अगस्त, 2023 को आयोजित निगम की दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में एलआईसी एमएफ के साथ भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है, जो तीसरी एजीएम तक मान्य होगा। इस प्रकार, निगम को भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए शेयरधारकों ऋसे नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2025 के लिए व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में और निष्पक्ष आधार से संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 6 पर संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्षकार लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्षकार लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

तदनुसार, इसके लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है। वित्त वर्ष 2025 के लिए भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, जैसा कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(4) के तहत आवश्यक है, जो 29 जुलाई, 2022 को सेबी परिपत्र के साथ पठित है, जिसे 30 जून, 2023 तक अद्यतन किया गया है और सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2023 के अनुसार यहां प्रदान किया गया है:

(I) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)

(II) अन्य जानकारी:

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		म्यूचुअल फंड योजनाओं में सीधा लगाना/अन्य प्रतिभूतियों को जारी या अभिदान करना और उनसे संबंधित लेनदेन	समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए
1	लेन-देन का मूल्य	प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड योजनाओं में सभी प्लेसमेंट का योग ₹ 35,000 करोड़ तक है, जो आई आर डी ए आई मानदंडों और निगम की आंतरिक नीतियों के अनुसार सीमा के अधीन है।	उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यापार के पैमाने के अनुसार

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		म्यूचुअल फंड योजनाओं में सीधा लगाना/अन्य प्रतिभूतियों को जारी या अभिदान करना और उनसे संबंधित लेनदेन	समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए
2	भौतिक शर्तें	90 दिन का मोचन	प्राप्त प्रीमियम, उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार है
3	संबंध या रुचि की प्रकृति (वित्तीय/अन्यथा)	वित्तीय	वित्तीय
4	लेन-देन की अवधि	90 दिन	पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार एवं चुने गए उत्पाद के अनुसार।
5	लेन-देन के मूल्य का प्रतिशत/पिछले वित्त वर्ष के लिए निगम का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्त वर्ष 2024 के समेकित कारोबार के आधार पर)	0.04	लागू नहीं
6	प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण	निवेश योग्य अधिशेष	लागू नहीं
7	निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋणप्रस्तता का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
8	निवेश की लागू शर्तें जैसे कि वाचाएं, कार्यकाल, ब्याज दर, चुकौती अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं
9	वह उद्देश्य जिसके लिए संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसार ऐसे धन के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा	धन की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन	लागू नहीं
10	संबंधित पक्ष लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य	धन की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन	निगम कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक टर्मिनल लाभों को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां/योजनाएं विभिन्न असंबंधित कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं को भी जारी करता है।
11	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार और इसलिए निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि वह निगम के बोर्ड (जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित के अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ

या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे नवीनीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से या पहले की व्यवस्था/लेनदेन के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (ओं) के रूप में या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिकता सीमा से अधिक जैसा की ऊपर बताया गया है।

एक सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 6 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्षकार लेनदेन का पक्ष हो या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित इकाई में अपनी शेयरधारिता/निदेशकता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त समाधान में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 6 के तहत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या पट्टा, किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त थी, यदि वे व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियमों में संशोधन के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन को भौतिक माना जाएगा, यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹ 1,000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी कम हो।

लेखापरीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2025 के लिए व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और निष्पक्ष संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 7 पर संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्षकार लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्षकार लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

तदनुसार, इसके लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है। वित्त वर्ष 2025 के लिए भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23(4) के तहत आवश्यक है, जो 29 जुलाई, 2022 को सेबी परिपत्र के साथ पठित है, जिसे 30 जून, 2023 तक अद्यतन किया गया है और सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2023 के अनुसार यहां प्रदान किया गया है:

(I) संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)

(II) अन्य जानकारी:

जमा की स्वीकृति

निगम की आवश्यकता के अनुसार निगम आईडीबीआई बैंक सहित विभिन्न बैंकों में चालू खाता जमा/बचत खाता अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य खाते का परिचालन करती है। जब कभी निगम ऐसी सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो वह ऐसा केवल तभी करेगा जब दरें, नियम एवं शर्तें किसी अन्य बैंकिंग संस्था की नियम एवं शर्तों के तुलनीय हों। सुविधा का प्रकार और लेनदेन की शर्तें और अवधि, प्रत्येक मामले में, निगम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। इसलिए, लेनदेन का मूल्य एलआईसी द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान

में, निगम द्वारा बनाए जा रहे चालू खाता शेष पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है और बैंक विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों के नियमों और शर्तों के अनुसार चालू खाते पर सामान्य बैंकिंग शुल्क लगाता है। तथापि, बचत खाते के लिए बैंक निगम को किसी अन्य बैंक की तरह शुल्क/ब्याज का भुगतान करता है। ये लेन-देन निगम के सामान्य कार्य में होते हैं।

वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित सुविधाएं

निगम व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में विभिन्न बैंकों (संबंधित/असंबंधित पक्षों) से निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। जब कभी निगम ऐसी सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो वह ऐसा केवल तभी करेगा जब दरें, नियम एवं शर्तें किसी अन्य बैंकिंग संस्था की नियम एवं शर्तों के तुलनीय हों। सुविधा का प्रकार और लेनदेन की शर्तें और अवधि, प्रत्येक मामले में, निगम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। बैंक को भुगतान किया गया ब्याज और शुल्क व्यय ऋण, गारंटी, नकद क्रेडिट आदि के रूप में मूल लेनदेन से होने वाले परिणामी लेनदेन हैं। इसलिए, लेनदेन की मात्रा मूल लेनदेन के मूल्य पर निर्भर करती है। आईडीबीआई बैंक के पास भारत में शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है जो बैंकिंग सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

कॉर्पोरेट एजेंट की तरह जीवन बीमा उत्पादों और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन/पारिश्रमिक का भुगतान

आईडीबीआई बैंक लागू कानूनों के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के साथ पंजीकृत एक कॉर्पोरेट एजेंट है। निगम ने आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है। निगम आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन का भुगतान करता है। भुगतान किए गए शुल्क का स्तर विभिन्न कारकों अर्थात् व्यवसाय की मात्रा, उत्पाद मिश्रण, विनियामक दिशानिर्देशों आदि पर निर्भर करता है। आईडीबीआई बैंक के साथ करार नियामकों द्वारा निर्धारित समझौते की शर्तों और मानदंडों के अनुसार नवीकरण के अधीन है। इस बैंक साझेदारी के रणनीतिक लाभ बहुआयामी हैं और लंबे समय तक सामने आते रहेंगे।

जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं के लिए प्रीमियम/ प्राप्त निधि और बीमा पॉलिसी लाभों का भुगतान

वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार।

गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/सदस्यता देना और उसके आकस्मिक लेनदेन

संबंधित पक्षों से प्रतिभूतियों की अभिदान/खरीद सहित लेन-देन निगम द्वारा अपने निवेश गतिविधियों के एक भाग के रूप में किए जाते हैं। निवेश करने का निर्णय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे बाजार की स्थिति, मूल्यांकन, जारी करने का आकार, नियामक सीमाएं आदि और विनियामक अनुमोदन के अधीन है, जो भी लागू हो। इस प्रकार, लेनदेन के मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है। प्राथमिक बाजार में संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों को निगम द्वारा प्रचलित बाजार दर पर और उन्हीं शर्तों पर अभिदान किया जाता है जिन पर इन प्रतिभूतियों को सभी भावी निवेशकों को पेश किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियों की द्वितीयक बाजार खरीद प्रचलित बाजार दरों/उचित मूल्यों पर निष्पक्ष आधार पर की जाती है। लेनदेन की अवधि प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी। निगम अपने सामान्य कारोबार क्रम में जोखिम प्रबंधन, चलनिधि प्रबंधन, अपेक्षित विनियामक अनुपात के अनुरक्षण का प्रबंध करने और मूल्य/प्रतिफल उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर व्यापारिक गतिविधियों से लाभ कमाने के लिए उपर्युक्त लेनदेनों में प्रवेश करता है।

अन्य लेनदेन

फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रीमियम, किराया, प्रतिपूर्ति, किसी अन्य आय/व्यय और डिपॉजिटरी भागीदार, संरक्षक सेवाओं और निवेश बैंकिंग आदि के अनुसरण में की गई गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों की प्रकृति में आईडीबीआई बैंक के साथ अन्य अनुबंध/लेनदेन/व्यवस्थाएं निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में हो सकती हैं।

निगम अपने नियमित कारोबार के दौरान निगम द्वारा ऋण/अग्रिम अथवा निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेन-देन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता नहीं उठाता है। उपयुक्त लेनदेनों में संबंधित पक्ष के संबंध/हित की प्रकृति वित्तीय है।

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार और इसलिए निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि वह निगम के बोर्ड (जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित के अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे नवीनीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन

(ओं) के माध्यम से या पहले की व्यवस्था/लेनदेन के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (ओं) के रूप में या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और लिए निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो जैसा की ऊपर बताया गया है।

एक सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 7 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष हो या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित इकाई में अपनी शेरधारिता/निदेशकता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त समाधान में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 7 के तहत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 8

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या पट्टा, किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त थी, यदि वे व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन के लिए अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों में संशोधन के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन को भौतिक माना जाएगा, यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1,000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी कम हो।

लेखापरीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2025 के लिए व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और निष्पक्ष संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 8 पर संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्षकार लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्षकार लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

तदनुसार, इसके लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है। वित्त वर्ष 2025 के लिए भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23(4) के तहत आवश्यक है, जो 29 जुलाई, 2022 को सेबी परिपत्र के साथ पठित है, जिसे 30 जून, 2023 तक अपडेट किया गया है और सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2023 के अनुसार यहां प्रदान किया गया है:

(I) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी)

(II) अन्य जानकारी:

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र / किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी या अभिदान करना और उसके आकस्मिक लेनदेन	समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ पूंजी प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए
1	लेन-देन का मूल्य	प्रस्तावित लेनदेनों के मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी की बोली के अध्यक्षीन है, यदि एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी किए जाने के लिए कोई प्रस्तावित है।	प्रतिभूतियों के नियमों और शर्तों के अनुसार
2	भौतिक शर्तें	लेनदेन की शर्तें एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार और लागू कानूनों के अनुसार होंगी	प्राप्त प्रीमियम उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार है
3	संबंध या रुचि की प्रकृति (वित्तीय/ अन्यथा)	वित्तीय	वित्तीय
4	लेन-देन की अवधि	एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार	पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार चुने गए उत्पाद के अनुसार।
5	लेन-देन के मूल्य का प्रतिशत/पिछले वित्त वर्ष के लिए निगम का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्त वर्ष 2024 के समेकित कारोबार के आधार पर)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
8	निवेश की लागू शर्तें जैसे कि वाचाएं, अवधि, ब्याज दर, चुकौती अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं
9	वह उद्देश्य जिसके लिए संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसार ऐसे धन के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा	लागू नहीं	लागू नहीं
10	संबंधित पक्ष लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य	निगम लागू कानूनों और प्रस्ताव पत्र के प्रावधानों के अनुसार एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी एनसीडी जैसी ऋण प्रतिभूतियों की सदस्यता भी ले सकता है; और सभी निवेशकों को समान रूप से ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान जो निगम के हित में होगा।	निगम कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक टर्मिनल लाभों को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां/योजनाएं विभिन्न असंबंधित कारपोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं को भी जारी करता है।
11	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार और इसलिए निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि वह निगम के बोर्ड (जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित के अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे नवीनीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से या पहले की व्यवस्था/लेनदेन के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (ओं) के रूप में या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और लिए निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो।

एक सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 8 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष हो या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित इकाई में अपनी शेयरधारिता/निदेशकता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपयुक्त समाधान में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 8 के तहत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षर/-
अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 15 जुलाई, 2024

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

अनुलग्नक – अ

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत और सचिवीय मानक - 2 के संदर्भ में, नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संदर्भ में विवरण:

निदेशक का नाम	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन
उम्र	58 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	बी.एससी (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के छात्र सदस्य
डीआईएन	10358884
संक्षिप्त विवरण	<p>इन्हे संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षाविदों में 38 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव है। प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन ने संगठन के भीतर कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर विकास), क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन / मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में क्षेत्रीय प्रबंधक (पेंशन और समूह योजनाएं), कोट्टायम प्रभाग के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और चेन्नई-ख, तंजावुर और पुणे डिवीजनों के विपणन प्रबंधक के रूप में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया है।</p> <p>राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में रिसर्च एसोसिएट के रूप में, उन्होंने बीमा प्रबंधन/ चार्टर्ड वित्तीय योजना में उत्पाद विकास और प्रकरण विकास में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों, सूक्ष्म बीमा, बीमा कानून और विनियम, पर कई परियोजनाओं पर काम किया है।</p>
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्त, विपणन, जीवन बीमा और कॉर्पोरेट प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2023 के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609 पर उपलब्ध हैं
अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2023 के अनुसार
तिथि जिस पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया था	01 सितम्बर 2023
निगम में शेयरधारिता का विवरण	35 इक्विटी शेयर
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कारपोरेट शासन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर देखें।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कारपोरेट शासन रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 62 पर देखें।
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	शून्य

अस्वीकरण: तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में किसी भी अस्पष्टता/त्रुटि होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में उल्लेखित सूचना को सही माना जायेगा।



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

Tel. No.: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com; Website: www.licindia.in

NOTICE OF THE 3RD ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE THIRD ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”) OF THE MEMBERS OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (“THE CORPORATION”/ “LIC”) WILL BE HELD ON THURSDAY, THE 22ND DAY OF AUGUST, 2024, AT 1130 HRS (IST), THROUGH VIDEO CONFERENCING (“VC”) /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (“OAVM”) TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt the audited financial statements of the Corporation (standalone and consolidated financial statements) for the financial year ended on March 31, 2024, together with the Reports of Board and Auditors thereon, in terms of Section 24B, 24C and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
2. To consider and adopt the Annual Report of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2024, in terms of Section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
3. To confirm the payment of interim dividend of ₹ 4 per equity shares of ₹ 10/- each and to declare final dividend of ₹ 6 per equity share of ₹ 10/- each for the financial year ended on March 31, 2024 as recommended by the Board in terms of Section 28B(1) of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation and other applicable provisions, if any, the members hereby approves the appointment of the following Auditor as Corporation’s Auditor in place of M/s Batliboi & Purohit, Mumbai (Firm Registration No.: 101048W), the retiring Corporation’s Auditor at such terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee:

S. No.	Name of Auditor	CAG Empanelment Number	Head Office	Firm Registration Number (FRN)	Tenure of appointment
1	M/s V. Sankar Aiyar & Co.	BO0031	Mumbai	109208W	5 years commencing from the conclusion of 3 rd AGM till the conclusion of the 8 th AGM to be held in the year 2029

RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation and other applicable provisions, if any, the members hereby approves the appointment of following Auditors for Zones of the Corporation in place of M/s AR & Co., New Delhi (Firm Registration No.: 002744C) and M/s Todi Tulshyan & Co., Patna (Firm Registration

No.: 002180C) the retiring Auditors for Zones at such terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee:

S. No.	Name of Auditor	CAG Empanelment Number	Head Office	Firm Registration Number (FRN)	Tenure of appointment
1	M/s ASA & Associates LLP	DE1187	New Delhi	009571N/N500006	5 years commencing from the conclusion of 3 rd AGM till the conclusion of the 8 th AGM to be held in the year 2029
2	M/s A K Salamपुरia & Associates	ER0152	Patna	004285C	5 years commencing from the conclusion of 3 rd AGM till the conclusion of the 8 th AGM to be held in the year 2029

RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation and other applicable provisions, if any, the Board of Directors of the Corporation be and is hereby authorized to appoint/re-appoint other Divisional Auditors of the Corporation for the terms and on the other terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation (including the Audit Committee of the Board), be and are hereby authorised, to settle all questions that may arise in connection with or incidental to giving effect to the above resolutions.”

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Doraiswamy Ramchandran (DIN: 10358884) as Managing Director of the Corporation:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 and 4 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Mr. Doraiswamy Ramchandran as Managing Director of the Corporation vide Government of India’s notification dated August 14, 2023, who assumed charge in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., September 01, 2023 and up to the date of his attaining superannuation (i.e., August 31, 2026), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board”.

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Mutual Fund Asset Management Limited (“LIC MF”):

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations), other applicable provisions of law, if any, including any amendments, modifications or re-enactments thereof (applicable laws), the Policy on dealing with Related Party Transactions of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/ or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2024-25 which shall be valid upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with LIC Mutual Fund Asset Management Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- issuance of/placement in direct mutual fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto;
- premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes;

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and /or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, which ever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2023-24, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2024-25 and upto the date of next AGM
LIC Mutual Fund Asset Management Limited	Placement in direct Mutual Fund Schemes / issuance or subscription of any other securities and transactions incidental thereto	Approximately up to ₹ 35,000 crore
	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/ schemes issued	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions.”

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with IDBI Bank Limited (“IDBI Bank”):

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), other applicable provisions of law, if any, including any amendments, modifications or re-enactments thereof (applicable laws), the ‘Policy on dealing with Related Party Transactions’ of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/ or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2024-25 which shall be valid upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with IDBI Bank Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- (i) availing Current Account/ Savings Account (CASA) facilities and making payment of service as availed by the Corporation for banking transactions;
- (ii) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits (“Deposits”) with IDBI Bank and interest thereon;
- (iii) payment of fees / remuneration/commission for distribution of life insurance products, to act as the Corporate agent of the Corporation in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI);
- (iv) premium / fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes;
- (v) issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto; and

- (vi) Other transactions and / or arrangements with and/ or transfer of resources / services from/to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Corporation/its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, fees payable, charges, revenue, brokerage or any other expenses, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities.

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and / or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2023-24, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2024-25 and upto the date of next AGM
IDBI Bank Limited	Bank accounts (in any form and by whatever name called including deposits) and interest thereon, if any	At actuals, since the balances maintained in the bank account are for day-to-day business operations, and may vary on a daily basis
	Premium/fund received/benefits paid towards group insurance policies/ schemes issued to IDBI Bank	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business
	Payment of fees / remuneration/ commission for distribution of life insurance products as Corporate agent	At actuals, as per the term and conditions of the products, scale of business, product mix and regulatory guidelines
	Issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto	At actuals, as per the terms and conditions of the prospective products and the scale of business
	Others: <ul style="list-style-type: none"> • Sale of securities/ investments • Bank charges • Brokerage • Depository Services • Advisory Services 	At actuals, as per the terms and conditions of the products, scale of business and services

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions.”

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Housing Finance Limited (“LIC HFL”):

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), other applicable provisions of law, if any, including any amendments, modifications or re-enactments thereof (applicable laws), the ‘Policy on dealing with Related Party Transactions’ of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee

constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/ or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2024-25 which shall be valid upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with LIC Housing Finance Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- (i) issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto;
- (ii) premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes;

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and / or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2023-24, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2024-25 and upto the date of next AGM
LIC Housing Finance Limited	issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto	At actuals, as per the terms and conditions of the NCDs/any other securities
	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies / schemes issued	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions.”

By Order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance officer

Date: July 15, 2024

Place: Mumbai

Central Office:

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema',

Jeevan Bima Marg,

Nariman point, Mumbai – 400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com

Website: www.licindia.in

NOTES:

1. The Ministry of Corporate Affairs, Government of India (“MCA”) has vide its circular No. 9/2023 dated 25 September, 2023, read with circulars dated 8 April, 2020, 13 April, 2020, 5 May, 2020, 13 January, 2021, 8 December, 2021 and 28 December, 2022 (collectively referred to as “MCA Circulars”) allowing, inter-alia, conducting of AGMs through Video Conferencing facility/ Other Audio-Visual Means (“VC/ OAVM”) on or before September 30, 2024, in accordance with the requirements provided in paragraphs 3 and 4 of the MCA General Circular dated 5 May, 2020. The Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) also vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (“SEBI Circular”) has provided certain relaxations from compliance with certain provisions of the Listing Regulations. In compliance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”/“LIC Act”) read with Life Insurance Corporation General Rules, 1956 (“LIC Rules”), provisions of the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”/ “SEBI (LODR) Regulations, 2015” / “Listing Regulations”), the Corporation has decided to hold its 3rd AGM through Video-conferencing (“VC”) or other audio visual means (“OAVM”) (hereinafter referred to as “electronic means”) i.e. without the physical presence of the members.
2. An Explanatory Statement pursuant to Section 23A of LIC Act, 1956 read with Rule 28 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956, which sets out details relating to ordinary and special business specified under Item Nos. 3 to 8 of this Notice is annexed hereto.
3. **Pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956 read with Rule 28 of LIC Rules, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Corporation. Since, this AGM is being held through VC, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this AGM and hence the proxy form, attendance slip and route map of the AGM venue are not annexed to this notice.**
4. Details as required under Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and in terms of Rule 28 of LIC Rules read with Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) in respect of the Director(s) seeking appointment at the 3rd AGM are annexed hereto as Annexure - A to the Notice which forms part of the Explanatory Statement. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Director(s) seeking appointment.
5. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and upto 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The Members will be able to view the live proceedings on the National Securities Depository Limited (‘NSDL’) e-Voting website at www.evoting.nsdl.com. The detailed instructions for joining the Meeting through VC/OAVM form part of the Notes to this Notice. The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and the Secretarial Standard – 2 issued by ICSI.
6. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for members on first come first served basis (FCFS). No restrictions on account of FCFS entry into AGM will apply in respect of large members (shareholders holding 2% or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders’ Relationship Committee, Auditors, etc.
7. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/ Authority Letter, etc., authorising their representative to attend the AGM through VC / OAVM on their behalf and to vote through remote e-voting or during the AGM. The said Resolution/Authorisation may be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to snaco@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in
8. In case of joint holders, a member whose name appears as the first holder in the order of their names as per the Register of Members will be entitled to cast vote at the AGM.

9. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2023-24 is being sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depositories as at the close of business hours on July 19, 2024 (Friday). The Notice convening the 3rd AGM has been uploaded on the website of the Corporation at www.licindia.in and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

10. Record Date for Dividend:

- a) Pursuant to Section 28B of the LIC Act, 1956 and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, members may note that the Board, in its meeting held on May 27, 2024 has recommended a final dividend of ₹ 6 per equity share of face value of ₹ 10 each for the financial year ended March 31, 2024. The Record Date for the purpose of final dividend was Friday, July 19, 2024.
- b) Final Dividend for the financial year 2023-24, once approved by the members in the 3rd AGM will be paid to the Members by September 20, 2024 (Friday), i.e., within 30 days from the date of approval to those Members/ beneficial owners whose names appear in the Register of Members/depository records as at the close of business hours on Friday, July 19, 2024.
- c) Members holding shares in demat form are hereby informed that bank particulars registered with their respective Depository Participants with whom they maintain their demat accounts will be used by the Corporation for payment of dividend. The Corporation cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat form for any change of bank particulars or bank mandates. Members holding shares in demat form are, therefore, requested to intimate any change in their addresses and/or bank mandate immediately to their Depository Participants.
- d) Members holding shares in physical form are requested to register their Electronic Clearing Service (ECS) mandate by submitting the (i) scanned copy of the signed letter which shall contain member's name, folio number, bank details (viz. Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details), (ii) a self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf to the Corporation's RTA, by email at einward.ris@kfintech.com.
- e) To the members who have not updated their bank account details, the Corporation will pay the dividend through any other permissible mode to the address registered in Corporation's records.
- f) SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated November 3, 2021 (subsequently amended by Circular Nos. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 March 16, 2023 and SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 November 17, 2023) has mandated that with effect from April 1, 2024, dividend to security holders (holding securities in physical form), shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, choice of nomination, contact details including mobile number, bank account details and specimen signature.

Further, relevant FAQs published by SEBI on its website can be viewed at https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf.

- g) Pursuant to Income Tax Act, 1961, as amended from time to time, dividend income is taxable in the hands of the members w.e.f., April 01, 2020 and the Corporation is required to deduct tax at source from dividend paid to the members at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Income Tax Act, 1961 and the amendments thereof.

A resident individual member with PAN and who is not liable to pay income tax is required to submit a declaration in Form No. 15G/ 15H, as is applicable.

Non-resident members including Foreign Institutional Investors (FIIs)/ Foreign Portfolio Investors (FPIs) can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents, i.e., Declaration on No Permanent Establishment, Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits.

A communication for the same was sent to the members on Thursday, July 04, 2024, whose email address were registered with the Corporation/Registrar/DPs and were requested to submit requisite information on or before Friday, July 19, 2024.

11. In respect of the physical shareholding, in order to prevent fraudulent transactions, members are advised to exercise due diligence and notify the Registrar of any change in their addresses, telephone numbers, e-mail ids, nominees or joint holders, as the case may be.

The Securities and Exchange Board of India ('SEBI') has mandated submission of Permanent Account Number ('PAN') by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Registrar (RTA).

12. Pursuant to Regulation 40(1) of the Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialised form with effect from April 1, 2019. Members may please note that SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022, has mandated Listed Companies to issue securities in demat form only while processing service requests viz; Issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account; Renewal/Exchange of securities certificate; Endorsement; Sub-division/Splitting of securities certificate; Consolidation of securities certificates/folios; Transmission and Transposition.

Further, it may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC compliant. SEBI, vide its notification dated January 24, 2022, has mandated that all requests for transmission and transposition shall be processed only in dematerialised form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Members can contact the Corporation or RTA, for assistance in this regard.

13. Pursuant to the provisions of Section 5E of the LIC Act, 1956 read with Regulation 9 of the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the members holding shares may nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares shall vest in the event of death of the sole holder or all the joint holders. Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for availing this facility and the Registrar in respect of shares held in physical form.
14. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.
- For shares held in electronic form: to their Depository Participants ("DPs")
 - For shares held in physical form: to the Corporation/RTA in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/SECFATF/P/ CIR/2023/169 dated October 12, 2023. To mitigate unintended challenges on account of freezing of folios, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/181 dated November 17, 2023, has done away with the provision regarding freezing of folios not having PAN, KYC, and Nomination details.
15. SEBI vide Circular Nos. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/ CIR/2023/131 dated July 31, 2023, and SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135 dated August 4, 2023, read with Master Circular No. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/145 dated July 31, 2023 (updated as on August 11, 2023), has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market.

Pursuant to above-mentioned circulars, post exhausting the option to resolve their grievances with the RTA/ Corporation directly and through existing SCORES platform, the investors can initiate dispute resolution through the ODR Portal (<https://smartodr.in/login>) and the same can also be accessed through the Corporation's website at <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution>.

16. Members are requested to note that under Section 28C of the LIC Act, 1956, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Further, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are also required to be transferred to designated Demat Account of the IEPF Authority.

17. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM or who wish to inspect the relevant documents referred in the Notice in terms of the provisions of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, can send their request at investors@licindia.com.

18. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories / RTA for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

- (i) Members holding shares in physical form, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) at investors@licindia.com.
- (ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (scanned self-attested copy of PAN card), AADHAR (scanned self-attested copy of Aadhar Card) to einward.ris@kfintech.com. If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained below in para 22 at step 1 (A) i.e., Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
- (iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

19. Remote e-voting before/during the AGM:

- (i) Pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Corporation is pleased to provide the facility of voting by electronic means viz; 'remote e-voting' (e-voting from a place other than venue of the AGM) to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Corporation has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The facility for casting votes by a Member using remote e-Voting system as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL.
- (ii) Members of the Corporation holding shares either in physical form or in electronic form as on the cut-off date of Friday, August 16, 2024, may cast their vote by remote e-Voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM. Any non-individual member or member holding securities in physical mode who acquires shares of the Corporation and becomes a Member of the Corporation after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 16, 2024 (Friday), may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in
- (iii) Individual members holding securities in demat mode, who acquire shares of the Corporation and become a Member of the Corporation after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, i.e., August 16, 2024 (Friday), may follow the login process mentioned below in para 22.

- (iv) The remote e-Voting period commences on Monday, August 19, 2024 at 0900 hrs (IST) and ends on Wednesday, August 21, 2024 at 1700 hrs (IST). The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date i.e., August 16, 2024.
 - (v) Members will be provided with the facility for voting through remote electronic voting system during the VC proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting, will be eligible to exercise their right to vote at the end of discussion on such resolutions upon announcement by the Chairperson. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again. Subject to the receipt of requisite votes, resolutions shall be deemed to be passed on the date of the meeting, i.e., August 22, 2024 (Thursday).
 - (vi) The remote e-Voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.
20. Ms. Aparna Gadgil (Membership No. ACS 14713) and failing her, Mr. Viswanathan S.N. (Membership No. ACS 61955) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser for providing facility to the Members of the Corporation to scrutinise remote e-Voting process as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit his/her report to the Chairperson or to any other person authorised by the Chairperson after the completion of the scrutiny of the e-Voting (votes cast through remote e-Voting before/during the AGM), within the time stipulated under the applicable laws. The result declared along with the Scrutiniser's report shall be communicated to the Stock Exchanges on which the Corporation's shares are listed, NSDL and will also be displayed on the Corporation's website under the 'Investor Relations' section at www.licindia.in. It shall also be displayed on the Notice Board at the Central Office of the Corporation.
21. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM are as under:
- (i) Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned below under para 22 for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against Corporation's name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the **EVEN (129391)** of Corporation will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice early to avoid last minute rush.
 - (ii) Members may join the Meeting through laptops, smartphones, tablets and iPads for better experience. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting. Members will need the latest version of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, MS Edge or Firefox. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via mobile hotspot might experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any glitches.
 - (iii) Members are encouraged to submit their questions with regard to the financial statements or any other business to be placed at the 3rd AGM, from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number, in advance at investors@licindia.com from Sunday, August 18, 2024 at 0900 hrs (IST) to Tuesday, August 20, 2024 at 1700 hrs (IST). Such questions by the Members shall be suitably replied to by the Corporation.
 - (iv) Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number at investors@licindia.com between Sunday, August 18, 2024 at 0900 hrs (IST) to Tuesday, August 20, 2024 at 1700 hrs (IST). The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

- (v) Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at sanjeevy@nsdl.co.in /022-4886 7000.

22. **Instructions for members for remote e-voting and joining Annual General meeting are as under:**

The remote e-voting period begins on Monday, August 19, 2024 at 0900 hrs (IST) and ends on Wednesday, August 21, 2024 at 1700 hrs (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., August 16, 2024, may cast their vote electronically. The voting right of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date, being August 16, 2024.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:





Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Members holding securities in demat mode:

In terms of SEBI circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual Members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual Members holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="677 989 1500 1367">Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. <li data-bbox="677 1381 1500 1520">If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

Type of shareholders	Login Method
	<p>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/ Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <p style="text-align: center;">NSDL Mobile App is available on</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>App Store</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Google Play</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-top: 10px;">   </div>
<p>Individual Members holding securities in demat mode with CDSL</p>	<p>1. Users who have opted for Easi / Easiest, can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website at www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password.</p> <p>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers’ website directly.</p>

Type of shareholders	Login Method
	<p>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.</p> <p>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility, upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL

Login type	Helpdesk details
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for members other than Individual Members holding securities in demat mode and members holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?
<ol style="list-style-type: none"> 1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. 2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for members other than Individual Members are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment, i.e., a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.

6. If you are unable to retrieve or have not received the “Initial password” or have forgotten your password:
 - a) Click on “Forgot User Details/Password?”(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) Physical User Reset Password?” (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to “Terms and Conditions” by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on “Login” button.
9. After you click on the “Login” button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “**EVEN**” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select “**EVEN**” of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on “VC/OAVM” link placed under “Join General Meeting”.
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
5. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

The instructions for e-Voting during the Annual General Meeting (AGM) are as under:

- (i) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- (ii) Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- (iii) Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- (iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

General Guidelines for shareholders:

- (i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- (ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders / Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager from NSDL at the designated e-mail id: sanjeevy@nsdl.co.in and/or evoting@nsdl.co.in

STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION GENERAL RULES, 1956

Item No. 3

In terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”), the Board of Directors of the Corporation in its meeting held on February 08, 2024, has declared 1st interim dividend for FY 2023-24 of ₹ 4 per equity share involving a cash outflow of ₹ 2530 crore during the year.

Further, the Board of Directors in its meeting held on May 27, 2024, has also recommended a final dividend of ₹ 6/- per equity share for FY 2023-24, subject to the declaration by the members of the Corporation in Annual General Meeting. The final dividend on equity shares, if approved by the Members, would involve a cash outflow of ₹ 3795 crore. The total dividend for FY 2024 amounts to ₹ 10/- per equity share and would involve a total cash outflow of ₹ 6325 crore which translates into a dividend pay-out ratio of 15.55%.

Accordingly, the members are requested to adopt the proposal contained under item no. 3 set out in the notice.

Item No. 4

In terms of Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”) read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 and the Board approved policy on selection of Auditors’ of the Corporation, as amended from time to time and other applicable provisions, if any, the appointment of Auditors’ of the Corporation needs to be approved by the members in the AGM.

One of the Corporation’s Auditors, i.e., M/s Batliboi & Purohit, Mumbai (Firm Registration No.: 101048W) and two Auditors for Zones viz; M/s AR & Co., New Delhi (Firm Registration No.: 002744C) and M/s Todi Tulshyan & Co., Patna (Firm Registration No.: 002180C) are retiring at the conclusion of the 3rd Annual General Meeting (AGM) of the Corporation to be held on August 22, 2024.

Pursuant to the foregoing provisions of LIC Act, 1956 and based on the recommendations of the Audit Committee in its meeting held on June 20, 2024 and the Board of Directors of the Corporation in its meeting held on June 21, 2024, it is proposed to appoint following firms as Corporation’s Auditor and Auditors for Zones of the Corporation:

Particulars	M/s V. Sankar Aiyar & Co.	M/s ASA & Associates LLP	M/s AK Salampuria & Associates
Brief Profile	The firm was established in the year 1952, and presently having 03 offices across India. The present strength of the firm is 16 full-time partners and 40 full-time CA employees.	The firm was established in the year 1977, and presently having 8 offices across India. The present strength of the firm is 33 full-time partners and 132 full-time CA employees	The firm was established in the year 1987, and presently having 6 offices across India. The present strength of the firm is 10 full-time partners.
Auditor	Corporation’s Auditor	Auditor for Northern Zone, New Delhi	Auditor for East Central Zone, Patna

Particulars	M/s V. Sankar Aiyar & Co.	M/s ASA & Associates LLP	M/s AK Salampuria & Associates
Firm Registration Number (FRN)	109208W	009571N/N500006	004285C
Comptroller & Auditor General (CAG) Empanelment Number	BO0031	DE1187	ER0152
Head Office	Mumbai	New Delhi	Patna
Tenure of Appointment	5 years commencing from the conclusion of 3 rd AGM till the conclusion of the 8 th AGM to be held in the year 2029	5 years commencing from the conclusion of 3 rd AGM till the conclusion of the 8 th AGM to be held in the year 2029	5 years commencing from the conclusion of 3 rd AGM till the conclusion of the 8 th AGM to be held in the year 2029

Besides the audit services, the Corporation would also obtain certifications from the Auditors under various statutory regulations and certifications required by banks, statutory authorities, audit related services and other permissible non-audit services as required from time to time, for which they will be remunerated separately on mutually agreed terms, as approved by the Board in consultation with the Audit Committee.

All three firms viz; M/s V. Sankar Aiyar & Co. (Firm Registration No.: 109208W), M/s ASA & Associates LLP (Firm Registration No.: 009571N/N500006) and M/s AK Salampuria & Associates (Firm Registration No.: 004285C), have consented to the said appointment and confirmed that their appointment, if made, would be within the limits specified under the applicable laws.

Accordingly, it is proposed to authorize the Board of Directors to approve other terms and conditions and remuneration for appointment of aforesaid Auditors on the recommendation of the Audit Committee. The names of the firms proposed to be appointed as Corporation's Auditors and Auditors for Zones are given in the resolution contained under item no. 4 of the AGM notice.

Further, it is also proposed to authorize the Board of Directors for appointment of other Auditors for Divisions of the Corporation in terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with rules made thereunder and as per the Board approved policy on selection of Auditors' of the Corporation, as amended from time to time and other applicable provisions, if any, to approve their terms and on the other terms and conditions and remuneration for appointment on the recommendation of the Audit Committee.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolutions.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the resolutions, as set out under item no. 4 of the AGM Notice.

Item No. 5

The Government of India vide their notification dated August 14, 2023, has appointed Mr. Doraiswamy Ramchandran as Managing Director of the Corporation w.e.f., the date of assumption of charge of office and upto the date of his superannuation (i.e., August 31, 2026) or until further orders, whichever is earliest. Mr. Ramchandran took charge as Managing Director of the Corporation on September 01, 2023.

Mr. Doraiswamy Ramchandran has more than 38 years of rich and diverse experience in Operations, Marketing, Technology and Academics. Prior to taking charge as Managing Director, Mr. Doraiswamy Ramchandran has held various leadership positions within the Organisation as Executive Director (Information Technology/Software Development), Regional Manager (Marketing / Chief Life Insurance Advisor), Regional Manager (Pension & Group Schemes) at Southern Zonal Office, Chennai, Senior Divisional Manager of Kottayam Division and Marketing Manager of Chennai I, Thanjavur and Pune divisions.

As Research Associate at National Insurance Academy, Pune, he has worked on multiple projects on Micro Insurance, Insurance Law and Regulations, Product Development and Content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management / Chartered Financial Planning.

Mr. Doraiswamy is a Graduate in Mathematics from Madurai Kamaraj University, Fellow Member of Insurance Institute of India and a student member of Institute of Actuaries of India.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 5 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Doraiswamy Ramchandran as Managing Director of the Corporation.

Except Mr. Doraiswamy Ramchandran and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 5.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 5 to the AGM Notice.

Item No. 6

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the amendment in SEBI Listing Regulations, effective from April 01, 2022, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Corporation has obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC MF at the 2nd Annual General Meeting (AGM) of the Corporation held on August 22, 2023, which will be valid till the 3rd AGM. Thus, the Corporation requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 6, during FY2025, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

Accordingly, the Members' approval is sought for the same. Details of the material related party transaction for FY 2025, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular dated July 29, 2022 updated as on June 30, 2023 and SEBI Master Circular dated July 11, 2023 is provided herewith:

(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:

LIC Mutual Fund Asset Management Limited (Associate Company)

(II) Other Information:

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Placement in direct Mutual Fund Schemes / issuance or subscription of any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued
1	Value of the transaction	The sum of all the placement in direct Mutual Fund Schemes is upto ₹ 35,000 crore, subject to limits as per IRDAI norms and Corporation's internal policies	As per the terms and conditions of the Products and the scale of business

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Placement in direct Mutual Fund Schemes / issuance or subscription of any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued
2	Material Terms	90 days Redemption	The premium received is as per the terms and conditions of the product
3	Nature of concern or interest (financial/otherwise)	Financial	Financial
4	Tenure of the transaction	90 days	As per policy terms and conditions of the product opted for.
5	% of value of transaction/ the Corporation's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2024)	0.04	Not applicable
6	Details of the source of funds in connection with the proposed transaction	Investible Surplus	Not applicable
7	Details of financial indebtedness incurred for investment	Not Applicable	Not applicable
8	Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/unsecured, if secured, nature of security	Not Applicable	Not applicable
9	The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction	Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms	Not applicable
10	Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity	Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms	The Corporation provides various Group Insurance products to cater the requirements of corporate entities and financial institutions. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies/schemes to various unrelated corporate entities and financial institutions.
11	Valuation or other external party report	Not Applicable	Not applicable

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such

arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Mutual Fund Asset Management Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 6 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolutions as set out under item no. 6 of the AGM Notice.

Item No. 7

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the amendment in SEBI Listing Regulations, effective from April 01, 2022, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 7, during FY2025, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

Accordingly, the Members' approval is sought for the same. Details of the material related party transaction for FY 2025, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular dated July 29, 2022 updated as on June 30, 2023 and SEBI Master Circular dated July 11, 2023 is provided as under:

(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:

IDBI Bank Limited (Associate Company)

(II) Other Information:

Acceptance of Deposits

LIC operates current account deposits/saving account or any other similar accounts with various banks including IDBI Bank, as per the need of the Corporation. Whenever the Corporation chooses to avail such facility, it would do so only if the rates, terms and conditions are comparable to the terms and conditions of any other banking institution. Type of facility and the term and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of the Corporation. Hence, the value of transactions cannot be determined by LIC. Currently, no interest is paid by the Bank on current account balance maintained

by the Corporation and the Bank levies normal banking charges on the current account, as per the terms and conditions applicable for other customers for various services. However, for savings account, Bank levies charges/pays interest to the Corporation similar to any other banks. These transactions are in the ordinary course of business of the Corporation.

Funded and Non-funded facilities

The Corporation is availing fund based and non-fund based facilities from various banks (related / unrelated parties) as a part of ordinary course of business. Whenever the Corporation chooses to avail such facility, it would do so only if the rates, terms and conditions are comparable to the terms and conditions of any other banking institution. Type of facility and the term and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of the Corporation. The interest and fee expense paid to the Bank are consequential transactions flowing out of principal transactions in the form of loan, guarantees, cash credit etc. Therefore, the quantum of the transaction depends on the value of the principal transaction. IDBI Bank is having extensive network of branches in India offering wide range of banking facilities.

Payment of fees / remuneration / commission for distribution of life insurance products and other related business as corporate agent

IDBI Bank is a corporate agent registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") in accordance with the applicable laws. The Corporation has entered into Corporate Agency agreement for distribution of life insurance products through extensive network of branches of IDBI Bank. The Corporation pays fees/ commission for distribution of life insurance products as per the regulations laid down by IRDAI. The level of fees paid is dependent on various factors, i.e., business volume, product mix, regulatory guidelines etc. The agreement with IDBI Bank is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The strategic benefits of this banca partnership is multidimensional and will continue to unfold over a long period of time.

Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued

At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business.

Issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto

Transactions involving subscription/purchase of securities from related parties are carried out by the Corporation as a part of its investing activities. The decision to invest depends on various factors i.e. market condition, valuation, issue size, regulatory limits etc. and subject to regulatory approvals wherever applicable. Thus, value of transactions cannot be ascertained. The securities offered by related parties in the primary market are subscribed by the Corporation at the prevailing market rate and at same terms at which these securities are offered to all prospective investors whereas secondary market purchase of securities is undertaken at prevailing market rates / fair values at an arm's length basis. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities. The Corporation in its ordinary course of business, enters into the above-mentioned transactions for risk management, manage liquidity, to manage maintenance of required regulatory ratio and to earn profits from trading activities by taking advantage of price / yield movements.

Other transactions

There could be other contracts/ transactions/ arrangements with IDBI Bank inter-alia in the nature of fees, commissions, brokerage, premium, rent, reimbursement, any other income/ expense and other activities including activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services and investment banking etc., in the ordinary course of Corporation's business.

The Corporation, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans/advances or investment by the Corporation. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions

or otherwise) with IDBI Bank Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 7 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolutions as set out under item no. 7 of the AGM Notice.

Item No. 8

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the amendment in SEBI Listing Regulations, effective from April 01, 2022, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 8, during FY2025, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

Accordingly, the Members' approval is sought for the same. Details of the material related party transaction for FY 2025, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular dated July 29, 2022 updated as on June 30, 2023 and SEBI Master Circular dated July 11, 2023 is provided herewith:

(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:

LIC Housing Finance Limited (Associate Company)

(II) Other Information:

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/ schemes issued
1	Value of the transaction	The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities, if any proposed to be issued by the LIC HFL	As per the terms and conditions of the securities
2	Material Terms	The terms of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the LIC HFL and in accordance with applicable laws	The premium received is as per the terms and conditions of the product
3	Nature of concern or interest (financial/otherwise)	Financial	Financial
4	Tenure of the transaction	As per the terms of the securities issued by the LIC HFL	As per policy terms and conditions of the product opted for.
5	% of value of transaction/ the Corporation's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2024)	Not applicable	Not applicable
6	Details of the source of funds in connection with the proposed transaction	Not applicable	Not applicable
7	Details of financial indebtedness incurred for investment	Not applicable	Not applicable
8	Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/ unsecured, if secured, nature of security	Not applicable	Not applicable
9	The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction	Not applicable	Not applicable
10	Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity	The Corporation may also subscribe debt securities like NCDs, if any issued by LIC HFL in accordance with the provisions of the applicable laws, offer letter; and payment of interest on such securities uniformly to all investors, in the interest of the Corporation	The Corporation provides various Group Insurance products to cater to the requirements of corporate entities and financial institutions. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies to various unrelated corporate entities and financial institutions.
11	Valuation or other external party report	Not Applicable	Not applicable

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Housing Finance Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 8 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolutions as set out under item no. 8 of the AGM Notice.

By order of the Board of Directors
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance officer

Date: July 15, 2024

Place: Mumbai

Central Office:

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', JeevanBimaMarg,

Nariman point, Mumbai – 400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com

Website: www.licindia.in

Annexure A

Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard – 2, in respect of the Director seeking appointment:

Name of Director	Mr. Doraiswamy Ramchandran
Age	58 years
Nationality	Indian
Qualification	B.Sc (Mathematics), Fellow Member of Insurance Institute of India and a Student Member of the Institute of Actuaries of India
DIN	10358884
Brief Resume	<p>He has more than 38 years of rich and diverse experience in Operations, Marketing, Technology and Academics. Prior to taking charge as Managing Director, Mr. Doraiswamy Ramchandran has held various leadership positions within the Organisation as Executive Director (Information Technology/Software Development), Regional Manager (Marketing / Chief Life Insurance Advisor), Regional Manager (Pension & Group Schemes) at Southern Zonal Office, Chennai, Senior Divisional Manager of Kottayam Division and Marketing Manager of Chennai I, Thanjavur and Pune divisions.</p> <p>As Research Associate at National Insurance Academy, Pune, he has worked on multiple projects on Micro Insurance, Insurance Law and Regulations, Product Development and Content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management / Chartered Financial Planning.</p>
Expertise in specific functional areas	Administration, Finance, Marketing, Life Insurance and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated August 14, 2023. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609
Details of remuneration and remuneration last drawn	As per Government of India notification dated August 14, 2023.
Date on which first appointed on the Board	September 01, 2023
Details of shareholding in the Corporation	35 Equity Shares
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended during the year	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 216
Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 217
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil